प्रेषक,

यू.सी.ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2004

विषय: श्री बी.सी.भगत, वैयक्तिक सहायक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल की प्रदेश के बाहर करायी गई चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1024/III-I/2004/एकाउन्ट(यू.एच.सी.), दिनांक 20 मई, 2004 के साथ प्राप्त बिल/वाउचर्स को मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-1180/चि-2-2003-437/2002, दिनांक 20.12.2003 में निहित प्रविधानों के अधीन स्व. श्री बी.सी.भगत, वैयक्तिक सहायक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल को दिनांक 20.7.2003 से 9.8.2003 तक प्रदेश के बाहर मेर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली में भर्ती रहकर स्वयं की करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य पाई गई रूपया 1,46,987/-(रुपये एक लाख छियालीस हजार नौ सौ सत्तासी रुपये मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- प्रदेश के बाहर करायी गई उक्त चिकित्सा की कार्योत्तर स्वीकृति शासनादेश संख्या-32-एक (2)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004, दिनांक 18.10.2004 द्वारा प्रदान की गई है ।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस अवधि में की गई चिकित्सा पर हुए व्यय की धनराशि का भुगतान इससे पूर्व नहीं हुआ है और यह देयक प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है । इस बात का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि यदि किसी धनराशि की प्रतिपूर्ति या अग्रिम स्वीकृत किया गया है, तो उसके समायोजन के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

4- चूँकि श्री भगत की मृत्यु हो गई है । अतः उनके आश्रित को उक्त धनराशि के भुगतान के पूर्व उनसे प्रतिपूर्ति बंधपत्र (इन्डेमनिटी बान्ड) निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित करा लिया जायेगा ।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति" के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1682/वित्त अनुभाग-3/2004, दिनांक 29-10-2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संलग्नक: यथोक्त ।

संख्या 63-एक(2)(1)/छत्तीस(1)/न्या. अनु./2004-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, भाजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3- वित्त अनुभाग-3/चिकित्सा अनुभाग-2/एन.आई.सी. ।
4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)
अपर सचिव ।